न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) हवाली, लखनऊ।

वाद सं०. 1438/2024
हुमा खातून व अन्य बनाम सुबूर फातिमा व अन्य

दिनांक–17.08.2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र सी–6

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। वादी को प्रार्थना पत्र सी–6 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० धारा 151 सी०पी०सी० पर सुना गया व आपत्ति एवं जवाबुलजवाब व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादी द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० सहपठित धारा 151 सी०पी०सी० के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन है कि शपथिनी /वादिनी (हुमा खातून) के पति स्व० मो० उमैरुद्दीन की मृत्यु दिनांक 05–04–2021 को तथा उनकी सास स्व० फातिमा जेहरा (उर्फ फातिमा बानो) की मृत्यु दिनांक 26–12–2022 को हुई। पारिवारिक सिजरा के अनुसार, मृतका फातिमा जेहरा के एक पुत्र (स्व० मो० उमैरुद्दीन) एवं तीन विवाहित पुत्रियां (सुबर फातिमा, सीमा फातिमा, दुर्दाना फातिमा) थीं। शपथिनी के पति एवं सास की मृत्यु के बाद, शपथिनी ही उनकी समस्त चल–अचल संपत्ति (ग्राम फतेहपुर, ग्राम जिन्दौर, ग्राम बस्तौली स्थित कृषि भूमियों एवं अमीनाबाद स्थित रिहाइशी मकान/दुकान) की एकमात्र विधिक वारिस, स्वामिनी व काबिज है। मृतका की तीनों पुत्रियों (प्रतिवादिनीगण) का विवाह उनके जीवनकाल में ही हो चुका था और वे अपने ससुराल में सुख–शांतिपूर्वक रह रही हैं। सास फातिमा जेहरा की मृत्यु के उपरांत, प्रतिवादिनीगण ने संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से तहसीलदार मलिहाबाद के समक्ष धारा–33(1) के तहत स्वयं को अविवाहित बताकर वरासतन आवेदन किया, जिसे निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 25–03–2023 को पुनः फर्जी तथ्यों के आधार पर आवेदन दिया , जिसे तहसीलदार न्यायालय ने 09–11–2023 को खारिज करते हुए शपथिनी के नाम भूमि दर्ज करने का आदेश दिया। इसके विरुद्ध प्रतिवादिनीगण ने उपजिलाधिकारी, मलिहाबाद के समक्ष धारा–35 के तहत अपील दायर की, जिसे 26–02–2024 को निरस्त कर दिया गया। अपील निरस्त होने के बाद प्रतिवादिनीगण ने अपर आयुक्त (मण्डल लखनऊ) के समक्ष निगरानी संख्या 1599/2024 दाखिल की। इस निगरानी के दौरान शपथिनी को 04–04–2024 को निरीक्षण के समय पहली बार ज्ञात हुआ कि प्रतिवादिनीगण ने एक फर्जी वसीयत दिनांक 28–11–2022 प्रस्तुत की है। इसके बाद शपथिनी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर दिनांक 08–04–2024 को इस षड्यंत्र व कूट–रचना (फर्जीवाड़े) की पूर्ण जानकारी हुई कि उक्त वसीयत का पंजीकरण सास की मृत्यु के काफी बाद दिनांक 21–03–2024 को उप–निबंधक (सदर तृतीय, लखनऊ) के कार्यालय में कराया गया था। वास्तविकता यह है कि स्व० फातिमा

जेहरा ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी। शपथिनी द्वारा हैंडराइटिंग व फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट (श्री एस०पी० गुप्ता, सिविल कोर्ट कम्पाउंड, लखनऊ) से जांच कराने पर यह स्पष्ट प्रमाणित हुआ कि वसीयत पर फातिमा जेहरा के हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान पूरी तरह फर्जी व कूट–रचित हैं। चूंकि यह कूट–रचित वसीयत वादिनी के विधिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसलिए वाद का कारण निरंतर विद्यमान है। अतः वादिनी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र सी–6 के माध्यम से निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के लंबित रहने के दौरान, वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादिनीगण (सुबूर फातिमा व अन्य) के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाए कि प्रतिवादिनीगण, वाद–पत्र के पैरा 3 व 4 में वर्णित कृषि संपत्ति, जो कि वादिनी के स्वामित्व व कब्जे में है, पर जबरदस्ती कब्जा करने या उसमें हस्तक्षेप करने से रोके जाने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची सी–8/1 ता सूची सी–8/2 से उद्धरण खतौनी की प्रतियाँ, उप–निबंधक तृतीय लखनऊ में पंजीकृत वसीयत दिनांक 21–03–2024 व पारित आदेश की प्रति, स्व० फातिमा जेहरा व स्व० मो० उमैरुद्दीन के मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रतिवादीगण के निरस्त उत्तराधिकार आवेदनों की प्रतियां, तहसीलदार मलिहाबाद का आदेश दिनांक 09–11–2023, उपजिलाधिकारी मलिहाबाद का अपीलीय आदेश दिनांक 26–02–2024, हैण्डराइटिंग एवं फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रति आदि प्रपत्र दाखिल किये गये है।

प्रतिवादी की ओर से अपनी आपत्ति सी–16 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादिनी/शपथिनी के अतिरिक्त कथन व प्रतिदावे के अनुसार, वादीय भूमियों—ग्राम जिन्दौर (परगना व तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ) स्थित खाता संख्या 930 के गाटा संख्या 19 (रकबा 0.038 हे०), 166 (रकबा 0.531 हे०), 167 (रकबा 0.493 हे०), 244 (रकबा 2.274 हे०) व 1034 स (रकबा 0.130 हे०) कुल रकबा 3.466 हे० का 1/2 भाग यानी 1.733 हे०; ग्राम फतेहपुर स्थित खाता संख्या 107 के गाटा संख्या 199 (रकबा 0.0722 हे०), 204 (रकबा 0.286 हे०), 257 (रकबा 0.0730 हे०), 256 (रकबा 0.309 हे०), 201 (रकबा 0.0670 हे०), 255 (रकबा 0.316 हे०), 263 (रकबा 0.0060 हे०), 203 (रकबा 0.300 हे०) व 206 (रकबा 0.0410 हे०) कुल रकबा 1.4700 हे० का 1/2 भाग यानी 0.735 हे०; तथा ग्राम बस्तौली स्थित खाता संख्या 441 के गाटा संख्या 43 (रकबा 0.022 हे०)—की संपूर्ण मालिकाना हक व काबिज–दखील शपथिनी की स्व० माता (तथा वादिनीगण की सास/दादी) थीं, जिन्होंने अपने जीवनकाल में अपने स्वस्थ मन–चित्त व सजग इन्द्रियों से उक्त संपत्तियों में गाटा संख्या 166 व 167 को छोड़कर शेष में शपथिनी व वादी संख्या–1 के पक्ष में बराबर–बराबर (1/4 – 1/4 अंश) तथा गाटा संख्या 166 (रकबा 0.531 हे०) व 167 (रकबा 0.493 हे०) का 1/2 भाग अपने संपूर्ण अंश शपथिनी के नाम तन्हा वसीयत दिनांक 28–11–

2022 को स्वेच्छा से निष्पादित कर दी थी, जिसमें वादिनी संख्या–2 व 3 भी वादिनी संख्या–1 को प्राप्त होने वाली संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार हैं। उक्त वसीयत निष्पादन के पश्चात माताजी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने के कारण शपथिनी द्वारा जीवनकाल में इसका पंजीकरण उप–निबंधक कार्यालय में नहीं कराया जा सका और दिनांक 26–12–2022 को उनका स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात शपथिनी द्वारा कफन–दफन व चालीसवा आदि रीति–रिवाजों से फारिग होकर उप–निबंधक कार्यालय (तृतीय), लखनऊ के समक्ष पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया, जिस पर सुसंगत नियमों के तहत साक्ष्य व सुनवाई के पश्चात उक्त अपंजीकृत वसीयत को विधि–सम्मत मानते हुए दिनांक 21–03–2024 को बही संख्या–1, जल्द संख्या–563 के पृष्ठ 165 से 182, क्रमांक 169 पर पंजीकृत कर दिया गया। राजस्व न्यायालय में लिखित कथन के संबंध में शपथिनी का कहना है कि वह अधिवक्ता द्वारा लिखा गया था जिसकी जानकारी शपथिनी को नहीं थी तथा वसीयत के पंजीकरण न होने के कारण अज्ञानतावश राजस्व न्यायालय में इसका उल्लेख नहीं हो पाया था। शपथिनी/प्रतिवादिनी संख्या–1 एक तलाकशुदा महिला है जिसका जीवन–यापन इसी भूमि की खेती–बाड़ी व बागवानी से चलता है, परंतु दिनांक 09–07–2024 को वादिनीगण द्वारा भेजे गए भू–माफिया व आपराधिक प्रवृत्ति के नकाबपोश व्यक्तियों ने शपथिनी के कब्जे वाली आम की बाग में अवैध कब्जा करने व जबरन आम तोड़ने का प्रयास किया, जिन्हें शपथिनी के विरोध करने पर भागना पड़ा लेकिन वे जाते–जाते भूमि खाली करने अथवा जबरन कब्जा करने की धमकी दे गए। इस घटना की सूचना थाना हाजा पर दी गई, किंतु पुलिस द्वारा दीवानी मामला बताकर अदालत से स्थगन आदेश लाने को कहा गया। चूंकि वाद ग्रस्त संपत्ति पर शपथिनी का पूर्ण स्वामित्व, शांतिपूर्ण कब्जा व अध्यासन है और वादिनीगण को इसमें कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी वादिनीगण व उनके मददगार निरंतर व्यवधान डालने व क्रय–विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सुविधा का संतुलन शपथिनी के पक्ष में है और यदि उन्हें नहीं रोका गया तो शपथिनी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः इसी कारण दिनांक 09–07–2024 को वाद का कारण उत्पन्न होने पर शपथिनी द्वारा प्रतिदावा प्रस्तुत कर न्यायालय से यह प्रार्थना की गई है कि शपथिनी के पक्ष में एवं वादिनीगण व उनके मेली–मददगारों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करते हुए उन्हें वाद पत्र के पैरा 3 व 4 में वर्णित संपत्तियों पर शपथिनी के शांतिपूर्ण कब्जे/अध्यासन में हस्तक्षेप करने तथा भूमि को क्रय–विक्रय करने से सदैव के लिए निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची सी–19 से उप–निबंधक तृतीय लखनऊ में पंजीकृत वसीयत दिनांक 21–03–2024 की प्रमाणित प्रति, खतौनी की प्रतियाँ एवं सूची सी–28 से मा० सिविल जज (सी०डि०) मलिहाबाद लखनऊ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10–12–2025 की प्रमाणित प्रति, वादीय दुकानों के किरायेदारों के साथ

निष्पादित किरायेदारी अनुबंध पत्र तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय, मा० उच्च न्यायालय एवं मा० राजस्व परिषद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाएं आदि प्रपत्र दाखिल किये गये है।

वादिनी द्वारा अपना जवाबुल जवाब सी–23 विरुद्ध उपरोक्त आपत्ति /प्रतिदावा दाखिल कर कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि प्रतिवादिनीगण के शपथ–पत्र की धारा–28 के कथन इस हद तक स्वीकृत हैं कि इस प्रस्तर में वर्णित कृषि संपत्ति की खातेदार शपथिनी/वादिनी संख्या–1 की सास स्व० फातिमा जेहरा थीं, जिनकी मृत्यु दिनांक 26–12–2022 को हुई थी, तथा स्व० फातिमा जेहरा के जीवनकाल में ही उनके एकमात्र पुत्र व वादिनी संख्या–1 के पति स्व० मो० उमैरुद्दीन की मृत्यु दिनांक 05–04–2021 को हो गई थी; और शपथिनी/वादिनीगण ही पति व सास द्वारा छोड़ी गई समस्त चल व अचल संपत्ति की स्वामिनी व काबिज हैं। प्रतिवादिनीगण के शपथ–पत्र की धारा–29 के कथन झूठे, फर्जी व मनगढ़ंत होने के कारण स्पष्ट रूप से अस्वीकृत हैं तथा वादीय संपत्ति पर शपथिनी/वादिनीगण का आत्यंतिक कब्जा व पूर्ण स्वामित्व है। शपथ–पत्र की धारा–30 के कथन असत्य व मनगढ़ंत हैं, क्योंकि स्व० फातिमा जेहरा ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी तथा कथित वसीयत दिनांकित 28–11–2022 एक फर्जी व कूट–रचित दस्तावेज है, जिसे प्रतिवादिनीगण ने विभिन्न राजस्व न्यायालयों से वरासत के आधार पर नामांतरण कराने में असफल हो जाने पर, स्व० फातिमा जेहरा के फर्जी व कूट–रचित हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी बनाकर तैयार कर लिया; और तत्पश्चात उपजिलाधिकारी मलिहाबाद (लखनऊ) द्वारा राजस्व अपीलीय न्यायालय में लगभग एक वर्ष तीन माह बाद पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26–02–2024 के उपरांत, उप–निबंधक तृतीय लखनऊ के माध्यम से कूट–रचित वसीयत का रजिस्ट्रीकरण आदेश दिनांक 21–03–2024 प्राप्त कर उसी दिन (दिनांक 21–03–2024 को) इसका पंजीकरण करा लिया। धारा–31 के कथन झूठे, मनगढ़ंत व बेईमानी पूर्ण हैं, क्योंकि प्रतिवादिनीगण छल–कपट करके वादिनीगण के स्वामित्व व कब्जे वाली प्रश्नगत संपत्ति को अनैतिक रूप से प्राप्त करना चाहती हैं; जबकि स्व० फातिमा जेहरा की मृत्यु दिनांक 26–12–2022 को होने के पश्चात प्रतिवादिनीगण ने सर्वप्रथम तहसीलदार मलिहाबाद के समक्ष धारा 31(1) के अंतर्गत स्वयं को अविवाहित पुत्री बताते हुए झूठा उत्तराधिकार आवेदन किया जिसे निरस्त कर दिया गया, और पुनः वादिनीगण की कृषि संपत्ति को हड़पने के उद्देश्य से दाखिल नामांतरण वाद में भी विवाहित पुत्रियों को अधिकार न होने के कारण प्रतिवादिनीगण का आवेदन खारिज करके कृषि योग्य विवादित भूमि पर शपथिनी/वादिनी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया, जिसकी अपील भी उपजिलाधिकारी मलिहाबाद ने दिनांक 26–02–2024 को निरस्त कर दी। धारा–32 के कथन झूठे व फर्जी हैं, क्योंकि प्रतिवादिनीगण ने किसी भी राजस्व न्यायालय में कथित वसीयत प्रस्तुत नहीं की और उत्तराधिकार वाद में असफल रहने पर कूट–रचित वसीयत तैयार कर रजिस्ट्रीकरण विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत करके दिनांक 21–03–2024 को पंजीकृत करा लिया, जो प्रत्येक दशा में

निरस्त होने योग्य है। धारा–33, 34, 35, 38, 39, 40, 42 एवं 43 के कथनों से शपथिनी/वादिनीगण को स्पष्ट इंकार है; प्रतिवादिनीगण का बनावटी प्रतिदावा पोषणीय न होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसके वाचन से ही स्पष्ट है कि यह मात्र बचाव में दाखिल किया गया झूठा प्रतिदावा है जिससे कोई वाद–कारण निर्मित नहीं होता। धारा–36 व 37 के कथनों से स्पष्ट इंकार करते हुए वादिनीगण ने प्रतिपादित किया है कि प्रश्नगत संपत्ति पर प्रतिवादिनीगण का कोई कब्जा या मालिकाना हक नहीं है, बल्कि वादिनीगण ही इस पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर स्वामी व काबिज हैं और राजस्व अभिलेखों में भी उन्हीं का नाम दर्ज है। अतः वादिनीगण द्वारा यह याचना की गई है कि प्रतिवादिनीगण के प्रतिदावे को निरस्त करते हुए, उप–निबंधक तृतीय सदर लखनऊ के कार्यालय से बही संख्या–3, जल्द संख्या–563, पृष्ठ संख्या–165 से 182, क्रमांक 169 पर दिनांक 21–03–2024 को शपथिनी/वादिनीगण से छिपाते हुए धोखाधड़ी व छल–कपट से पंजीकृत कराई गई प्रश्नगत फर्जी वसीयत दिनांकित 28–11–2022 को शून्य, अविधिक व अप्रभावी घोषित कर निरस्त करने की डिक्री प्रदान की जाए, तथा वाद–पत्र के पैरा–3 व 4 में उल्लिखित संपत्ति से वादिनीगण को बेदखल करने एवं जबरदस्ती कब्जा या हस्तक्षेप करने से प्रतिवादिनीगण को रोकने हेतु वादिनीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाए।

सुना एवं पत्रावली का तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, मा० उच्च न्यायालय एवं मा० राजस्व परिषद द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवथाओं का सम्मान अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा एवं वसीयत निरस्तीकरण के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु वादी को निम्नलिखित तीन शर्तों को अपने पक्ष में साबित करना अनिवार्य शर्त है–

- प्रथम दृष्टया वाद,
- सुविधा का संतुलन,
- अपूर्णीय क्षति।

जहाँ तक प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है उसके संबंध में वादिनीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि राजस्व अभिलेखों (खतौनी) में वादिनीगण का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा तहसीलदार मलिहाबाद के आदेश दिनांक 09–11–2023 एवं उपजिलाधिकारी मलिहाबाद के अपीलीय आदेश दिनांक 26–02–2024 के तहत वादिनीगण का विधिक वरासतन हक व कब्जा स्थापित है। इसके विपरीत प्रतिवादिनीगण का कथन है कि स्व० फातिमा जेहरा द्वारा निष्पादित वसीयत (पंजीकृत दिनांक 21–03–2024) के आधार पर वे स्वामिनी व काबिज हैं, जबकि वादिनीगण का कहना है कि उक्त वसीयत कूटरचित व फर्जी है जिसकी पुष्टि हेतु फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट दाखिल की गई है।

वादिनीगण एवं प्रतिवादिनीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा दोनों पक्ष वादग्रस्त संपत्ति पर अपना–अपना मालिकाना हक व कब्जा जता रहे हैं। जहाँ तक पंजीकृत वसीयत की वैधता, निष्पादन तथा संपत्ति पर वास्तविक कब्जे व स्वामित्व के अवधारण का प्रश्न है, तो यह गुण–दोष का विषय है जिसका निस्तारण साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकेगा।

अतः वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उभयपक्ष के अभिवचनों को दृष्टिगत रखते हुए वादग्रस्त संपत्ति का संरक्षण किया जाना प्रथम दृष्टया आवश्यक व समीचीन प्रतीत होता है। तदनुसार वादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विचारण के दौरान पक्षकारों की यथास्थिति कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र सी –6 निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

उभयपक्ष को वाद की कार्यवाही के दौरान आदेशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त संपत्ति, जिसका विवरण वादपत्र के पैरा 3,4 व 5 में वर्णित है, के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें एवं इसका क्रय–विक्रय/हस्तांतरण न करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 17.09.2026 को पेश हो।

(अनुराधा)
सिविल जज (जू०डि०) हवाली,
लखनऊ।